स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 75, दिनांक 09–03–2024

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का शातिर तस्कर व नागालैण्ड राज्य से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09–03–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रामानन्द यादव पुत्र बनारसी यादव निवासी फुल्ली सोनहरिया, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर उ0प्र0।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी :–

1– मोबाइल फोन–02 अदद।
2– रूपये 500/–नगद।
2– ए0टी0एम0कार्ड–01अदद।
3– आधार कार्ड–01अदद।
4– पैनकार्ड–01अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :–

जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत सेण्ट मेरी स्कूल कैण्टोमेण्ट के पास से, दिनांक–09–03–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अभिसूचना संकलन के क्रम में नागालैण्ड पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से सम्पर्क कर अवगत कराया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय मादक पदार्थ के तस्करों के गैंग का सदस्य रामानन्द यादव काफी समय से मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) में वांछित चल रहा है तथा वाराणसी के आस–पास लुकछिप कर रह रहा है। इस संबंध में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। उक्त संबंध में धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान वि" वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि रामानन्द यादव उपरोक्त जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत सेण्ट मेरी स्कूल के पास खडा होकर किसी के आने का इन्ताजार कर रहा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम एवं

नागालैण्ड पुलिस द्वारा विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह नागालैण्ड में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। इसी दौरान उसका सम्पर्क स्थानीय मादक पदार्थ के तस्करों के साथ–साथ नेपाल के भी मादक पदार्थ के तस्करों से हो गया। नेपाल व देश के अन्य कोने से मादक पदार्थ लाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ नागालैण्ड में बेचता था। इसी दौरान वर्ष 2014 में 5 कि0ग्रा0 डोडा (मादक पदार्थ का प्रकार) के साथ थाना बारा चट्टी जनपद गया (बिहार) में अपने 04 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर छूटने के बाद पुनः अपने गैंग के साथ सक्रिय हो गया। वर्ष 2024 में इसके गैंग के 02 सदस्यों को मादक पदार्थों के साथ नागालैण्ड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें नेपाल व नागालैण्ड की दो महिलाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था, परन्तु रामानन्द यादव आदि फरार हो गये थे। इस संबंध में मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) पंजीकृत हुआ था, जिसमें वांछित चल रहा था तथा वाराणसी व आस–पास के जनपदों में लुकछिप रह रहा था।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को मु0अ0सं0 3/2024 धारा 22(सी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 34 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 दीमापुर (नागालैण्ड) में थाना कैण्ट वाराणसी में दाखिल किया गया। नागालैण्ड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।